

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश
(वित्तीय सहायता कक्ष)

क्रमांक 8/विसहा/(5)/2015/374
प्रति,

भोपाल, दिनांक 12.04.2018

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
इन्दौर, म.प्र.।

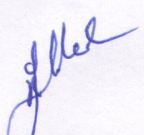
विषय:- खाद्य प्रसंस्करण विभाग से सहायता /सुविधा प्राप्त इकाईयों को ब्याज अनुदान एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में मार्गदर्शन बाबत
संदर्भ:- उद्योग संचालनालय मध्यप्रदेश वित्तीय सहायता कक्ष का पत्र क्रमांक 115-175, दिनांक 22/2/2018

ॐॐॐॐ

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के द्वारा उद्योग संवर्धन नीति 2014 के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाई खाद्य प्रसंस्करण विभाग व एमएसएमई विभाग में से किसी एक विभाग से सहायता प्राप्त कर सकने का मार्गदर्शन दिया गया था। उक्त मार्गदर्शन की निरंतरता में उद्योग संवर्धन नीति 2010 (यथा संशोधित 2012) के संदर्भ में अवगत कराया जाता है कि खाद्य प्रसंस्करण नीति 2012 के बिंदु क्रमांक 2.1 में स्पष्ट उल्लेख है कि खाद्य प्रसंस्करण विभाग की सहायताओं के अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण इकाई उद्योग संवर्धन नीति 2010 (यथा संशोधित 2012) अंतर्गत कौन-कौन सी सुविधाएं प्राप्त कर सकती है। तदनुसार कार्यवाही करें।

जहां तक खाद्य प्रसंस्करण विभाग से सुविधाएं प्राप्त करने अथवा आवेदन नहीं करने की पुष्टि का प्रश्न है, इस संबंध में इकाई से शपथ पत्र लिया जावे।

उद्योग आयुक्त द्वारा अनुमोदित

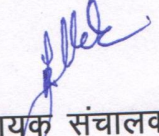

सहायक संचालक उद्योग,
कृते उद्योग आयुक्त, म.प्र.

क्रमांक 8/विसहा/(5)/2015/375-436

भोपाल, दिनांक 12.04.2017

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त संचालक उद्योग, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, समस्त ।
2. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, समस्त ।


सहायक संचालक उद्योग
उद्योग संचालनालय, म.प्र.